





546 / 16-17

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
<u>15/06/21</u>	<p>अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार <u>भौवा ठरांव</u> पिता <u>अहलाद ठरांव</u> को खास नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक <u>22/06/2021</u> को उपस्थापित करें।</p> <p> अंचल अधिकारी, कुरडेग।</p>	
<u>22/06/21</u>	<p>अभिलेख उपस्थापित। खास नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त/अप्राप्त। प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित/अनुपस्थित। अनुपस्थित। प्रतिवादी से मूल कागजात की मांग करें। अभिलेख दिनांक <u>19/07/2021</u> को उपस्थापित करें।</p> <p> अंचल अधिकारी, कुरडेग।</p>	
<u>19/07/21</u>	<p>अभिलेख उपस्थापित। प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित/अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक <u>23/08/21</u> को उपस्थापित करें।</p> <p> अंचल अधिकारी, कुरडेग।</p>	
<u>23/08/21</u> <u>21/06/22</u>	<p>अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार <u>भौवा ठरांव</u> पिता <u>अहलाद ठरांव</u> को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो संलग्न है। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार के <u>वंशज</u> द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत अवैध/संदिग्ध भूमि ग्राम <u>खालीजोर</u> खाता संख्या <u>196</u> प्लॉट संख्या <u>2034</u> रकबा <u>0.29 ए०</u> वर्ष <u>2010-11</u> का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान <u>कोई लिखित कथान नहीं दिया</u> है कि उनके पास <u>लगान रसीद</u> के अतिरिक्त <u>अन्य कोई दस्तावेज</u> है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी- II में उक्त भूमि के संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार <u>दर्ज नहीं</u> है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि विषयगत भूमि ग्राम <u>खालीजोर</u> खाता संख्या <u>196</u> प्लॉट संख्या <u>2034</u> सर्वे खतियान में किस्म <u>नाला</u> दर्ज है जो सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा०, दिनांक 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II (ii) के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है नियमितिकरण योग्य नहीं है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुशंसा किया है।</p> <p></p> <p>क्रमशः</p>	


उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि भौवा ठरांव पिता अहलादे ठरांव
ग्राम श्वालीजोर के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध प्रतित होता है:-

क्र०सं०	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा
1	2	3	4	5	6
1	श्वालीजोर	32	196	2034	0.29 ए०

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड रांची का पत्रांक- 2074/रा०, दिनांक- 13.05.2016. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 6144/रा०, दिनांक- 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II (ii) एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा०, दिनांक- 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबन्दी को निरस्त करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सिमडेगा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित


अंचल अधिकारी,
कुरडेग।


अंचल अधिकारी,
कुरडेग।